प्रकरण संख्या 160/2017 भैरूलाल व अन्य बनाम श्रीमती शान्ता व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की मौरूसी आराजीयात मौजरा जगत में स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 398, 400 व 401 कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा थे। उक्त साबिक आराजी के नये नंबर 2694 से 2710 कुल किता 17 रकबा 2.5150 हैक्टर हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष दौला जी का पुत्र मोड़ा व मोड़ा का पुत्र भीमा हुए। भीमा की पुत्री वादिया शान्ता बाई व पत्नी पूंजीबाई प्रतिवादी संख्या 1 है तथा भीमा का पुत्र भंवरलाल था, जो फोत होकर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हैं। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादिया का 1/3 हिस्सा निहित है, जिस पर वह काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादिया के पिता भीमा द्वारा कुल रकबा 2.5150 हैक्टर में से भावसार सेवा समिति को 0.1005 हैक्टर भूमि दान कर दी गयी, जिसके बाबत् वादिया कोई रिलीफ नहीं चाहती है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा भीमा ने दान पत्र करवा लिया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। विवादित आराजियात मौरूसी होने से भीमा जी को वादिया के हिस्से की भूमि को दान करने का कोई अधिकार नहीं था एवं उक्त दान पत्र कानून के विपरीत होने से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः विवादित आराजियात में भावसार सेवा समिति को दान की गयी भूमि को छोड़कर शेष आराजियात के 1/3 हिस्से का वादिया को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्र[...]स्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 25.05.2017 [...] वादिया को विवादित आराजियात के 1/4 हिस्से [...]र घोषित कर डि[...]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:05 IST
Reason: SelfAttested

जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19.09.2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री महेन्द्र मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 15.09.2017 को नकल प्राप्त करने पर हुई। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि भीमा द्वारा कुछ भूमि अपीलान्टगण को रजिस्टर्ड दान की गयी थी एवं कुछ भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 भावसार सेवा समिति को रजिस्टर्ड दान की गयी। इस प्रकार बिना सक्षम न्यायालय से दान पत्र निरस्त कराये वादीया घोषणा कराने की अधिकारी नहीं थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं विवादित आराजियात में भावसार सेवा समिति को दान किये गये हिस्से को छोड़कर शेष आराजियात में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया, जो [illegible] के विपरीत होने से अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:05 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट [illegible] अधिनस्थ न्यायालय के

निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में भीमा पिता मोड़ा के नाम दर्ज हैं एवं दान पत्र के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1104 प्रतिवादी संख्या 3 भावसार सेवा समिति में नाम 1005/6150 हैक्टर भूमि दर्ज करने की स्वीकृति हुई है तथा शेष आराजियात नामान्तरकरण संख्या 1114 से दान पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अर्थात हाल अपीलान्टगण के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड दान पत्र के विपरीत जाकर वादिया का विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा मानकर उसे भावसार सेवा समिति को दान किये गये 1005/6150 हैक्टर को छोड़कर शेष आराजियात में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है, जो रजिस्टर्ड दान पत्र के मुकाबले प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है। हमारे समक्ष रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 मृतक पूंजीबाई के स्थान पर चन्द्र प्रकाश भावसर को पक्षकार संस्थित किया गया है। ऐसी स्थिति में उसे भी सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.05.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh
Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:05 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] सिंह [illegible])
भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर